सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी, डॉ0 राकेश कुमार शर्मा, आर.ए.एस.

अपील संख्या 290/17 **निर्णय दिनांकः–20.06.2018**

1. लालचन्द पुत्र श्री गंगाराम जाति कुम्हार निवासी सरदारपुरा तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़

–अपीलांट्

–बनाम–

1. स्टेट ऑफ राजस्थान, जरिये तहसीलदार, खाजुवाला।

रेस्पोडेन्ट्

अपील विरूद्व आज्ञा दिनांक 18–06–1999
सहायक आयुक्त उपनिवेशन, छत्तरगढ़, मु. बीकानेर

उपस्थितिः–

1. श्री धनेश खत्री, अभिभाषक अपीलांट्
2. श्री नन्दराम कासनियॉ, राजकीय अभिभाषक

–निर्णय–

1. अपीलांट ने यह अपील सहायक आयुक्त उपनिवेशन, छत्तरगढ़ मु. बीकानेरके आदेश दिनांक 18–06–1999 जिसके द्वारा अपीलांट का आवंटन प्रार्थना पत्र बिना सुने एकतरफा तौर पर अन्य को आवंटित होने के कारण खारिज किया गया है, के विरूद्व इस न्यायालय में राजस्थान उपनिवेशन (इगानप योजना में सरकारी कृषि भूमि आवंटन व विक्रय नियम) 1975 के नियम 23 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट् ने अपनी बहस में बताया कि अपीलांट द्वारा तहसील पूगल में चक 11 केएचएम के मुरब्बा नम्बर 79/63 में 25 बीघा भूमि बतौर विशेष आवंटन के लिए प्रार्थना पत्र

प्रस्तत किया गया। उक्त आवेदन पत्र के साथ अपीलांट द्वारा तमाम सबूत भी प्रस्तुत किये गये थे। अदालत मातहत द्वारा तत्पश्चात् अपीलांट को बिना सूचना दिये प्रार्थना पत्र इस आधार पर खारिज किया गया है कि प्रार्थी द्वारा आवेदित भूमि पूर्व में ही अन्य को आवंटित हो चुकी है। अतः प्रार्थी का आवेदन पत्र खारिज किया जाता है।

इस संबंध में अपीलांट को कोई नोटिस जारी नहीं किया गया है। यदि जारी किया भी गया है तो अधिनस्थ न्यायालय द्वारा नोटिस की तामील विधिवत नहीं कराई गई है। अपीलांट ने जब अपना प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था तब न तो कोई तारीख पेशी बताई गई थी तथा ना ही यह कथन किया गया था कि आवेदित रकबा अविज्ञाप्ति है। अदालत मातहत द्वारा अपीलांट को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना ही अपीलांट का प्रार्थना पत्र खारिज किया गया है। जो किसी भी तरह से विधि सम्मत नहीं है। अपीलाधीन आदेश एकतरफा तौर पर मनमाने ढंग से पारित किया गया है। जो प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों के विपरीत होने से खारिज योग्य है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाया जावे।

उन्होंने मियांद पर बताया कि अपीलाधीन आदेश एकतरफा क्षेत्राधिकार से बाहर है। जिसमें मिंयाद अधिनियम बाधक नहीं है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश है। अतः अपील अन्दर मियांद घोषित की जावे।

4. विद्वान राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलांट ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 18—06—1999 के विरूद्व अपील दिनांक 18—08—17 को पेश की है। जो विलम्ब से पेश की है। इसलिए अपील मिंयाद बाहर है। मियांद प्रार्थना पत्र में मियांद कण्डोन करने का कोई संतोषजनक कारण अंकिन नहीं किया है। अपीलांट का आवंटन प्रार्थना पत्र उपस्थित नहीं आने के कारण व पूर्व में अन्य को आवंटित होने के कारण खारिज किया जा चुका है। अब अपीलांट किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

6. (1) जहाँ तक मियांद का प्रश्न है, अपीलाधीन आदेश दिनांक 18—06—1999 को पारित किया गया है। जिसके विरूद्व अपील 18—08—2017 को पेश की गई है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिसके खण्डन में राज्य पक्ष द्वारा कोई काउण्टर शपथ पत्र पेश नहीं किया गया हैं। अतः प्रार्थी के शपथ पत्र पर विश्वास करते हुए अपील में हुए विलम्ब को दरगुजर करते हुए अपील अन्दर मियांद घोषित की जाती है।

(2) अपीलांट ने अदालत मातहत के समक्ष बतौर विशेष आवंटन के लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तत करते हुए चक 11 केएचएम के मुरब्बा नम्बर 79/63 में 25 बीघा भूमि आवंटन की मांग की गई थी।

(3) अदालत मातहत द्वारा अपीलांट का आवेदन पत्र इस आधार पर खारिज किया गया है कि प्रार्थी द्वारा आवेदित रकबा पूर्व में ही अन्य को आवंटित हो चुकी है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। इस संबंध में अदालत मातहत की पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अदालत मातहत द्वारा अपीलांट को वादगत् भूमि के आवंटन हेतु किसी प्रकार का कोई नोटिस जारी नहीं किया गया हैं।

(4) प्रकरण में अपीलांट द्वारा आवेदित रकबे के आवंटन हेतु अन्य आवेदकों द्वारा भी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर रखा था। ऐसी स्थिति में अदालत मातहत द्वारा अपीलांट द्वारा आवेदित रकबा पूर्व में ही अन्य व्यक्ति ओमप्रकाश पुत्र हनुमानमल को आवंटन किया जा चुका हैं। विशेष आवंटन के नियमों में आवेदक द्वारा आवेदित भूमि के आवंटन का ही प्रावधान निहित है अन्यत्र भूमि के आवंटन का प्रावधान नहीं है।

जब अपीलांट द्वारा आवेदित रकबा पूर्व में ही अन्य को आवंटित हो चुका है। ऐसी स्थिति में अपीलांट/प्रार्थी द्वारा आवेदित रकबा अब अपीलांट को आवंटन नहीं किया जा सकता। ऐसी स्थिति में अदालत मातहत द्वारा अपीलांट का आवंटन प्रार्थना पत्र आवेदित रकबा पूर्व में अन्य को आवंटित होने क आधार पर खारिज करने में किसी प्रकार की त्रूटि कारित नहीं की है। अदालत मातहत ने विधि सम्मत रूप से अपीलाधीन आदेश पारित किया है।

7. अतः उक्त विवेचना के आधार पर अपीलांट् की अपील खारिज की जाती है व सहायक आयुक्त उपनिवेशन, कोलायत का आदेश दिनांक 18—06—1999 बहाल रखा जता है।

8. निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 20.06.2018 को सरे इजलास सुनाया गया।

(डॉ0 राकेश कुमार शर्मा)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर